06.12.17

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई।वकील सायल का कथन है कि विवादित भूमि सायला एवं गैरसायलान की पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में सायला का जन्म से ही हिस्सा है लेकिन सायला के पिता रामस्वरूप ने भूमि खसरा नंबर 5545/3039 रकबा 1.02 हेक्टर ग्राम बजीरपुर का दानपत्र अपनी पुत्रवधू ममता देवी के नाम दिनांक 18.02.2003 को रजिस्टर्ड करवा दिया। भूमि खसरा नंबर 5545/3039 में सायला का 1/6 हिस्सा है तथा सायला उक्त दान पत्र को अपने हिस्सा 1/6 तक प्रभावहीन व प्रभावशून्य घोषित करवाने की अधिकारी है। अतः गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह भूमि खसरा नंबर 5545/3039 ग्राम बजीरपुर में से सायला के हिस्से 1/6 को रहन वय नहीं करें, हस्तांतरण नहीं करें, सायला को बेदखल नहीं करें एवं सायला के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें।

वकील गैरसायला का कथन है कि दान पत्र रजिस्टर्ड है एवं रजिस्टर्ड दस्तावेज को सुनने का न्यायालय हाजा को अधिकार नहीं है। विवाहिता पुत्री को कोपार्सनरी प्रोपर्टी में कोई अधिकार नहीं रहे थे, सायला की शादी काफी समय पूर्व हो गई थी व उसका रामस्वरूप की पैतृक सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं था। गैरसायला का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। गैरसायला ममता देवी के पक्ष में रामस्वरूप पुत्र हण्डू जाति ब्राह्मण द्वारा भूमि खसरा नंबर 5545/3039 रकबा 1.02 हेक्टर ग्राम बजीरपुर को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र हस्तांतरित की गई है। यह तो दावा पत्रावली में विस्तृत

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	साक्ष्य एवं विस्तृत विवेचन के उपरांत ही तय किया जाना संभव होगा कि भूमि पैतृक है अथवा नहीं एवं सायला का इस भूमि में कितने अधिकार निहित है ? प्रथमदृष्टया सायला का विवादित भूमि पर कब्जा प्रमाणित भी नहीं है एवं गैरसायला के पक्ष में रजिस्टर्ड दस्तावेज से भूमि हस्तान्तरण हुआ है ऐसी स्थिति में हमारी विनम्र राय में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे। (मुनिदेव यादव) सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी	